



## राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यालय

Office of the State Disability Commissioner

(समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग)

झारखण्ड सरकार

### नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सूचना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को नेत्रहीनों के संयुक्त संगठन द्वारा किये गये मांग एवं समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के अनुरोध के आलोक में परिवहन आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड के पत्रांक-का. आ. सं. परि. वि. 185/09/76 राँची, दिनांक-20.08.09 के द्वारा नेत्रहीन व्यक्तियों को झारखण्ड राज्य के सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा करने संबंधी आदेश संबंधित पदाधिकारियों को निर्गत किया जा चुका है। अतः परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में नेत्रहीन व्यक्ति निःशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यालय

(समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग)

झारखण्ड सरकार

भूतल, अभियंत्रण छात्रावास भवन, सेक्टर-III धुर्वा, राँची।

फोन-0651-2401825, फैक्स-0651-2401825

सतीष चन्द्र

राज्य निःशक्तता आयुक्त।